EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY DATED THE 10TH JUNE, 2022

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 10 जून, 2022

संख्या 27/आ0–1/पं0अ01/1914/धा0 21 तथा 59/2022.–हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 21 तथा 59 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 09/**आ0–1/पं0अ01/1914/धा0 9/2020**, दिनांक 28 जनवरी, 2020 के प्रतिनिर्देश से, मैं शेखर विद्यार्थी, आबकारी आयुक्त, हरियाणा, इसके द्वारा, पंजाब मद्य निर्माणशाला नियम, 1956, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हूँ, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम पंजाब मद्य निर्माणशाला (हरियाणा संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।

(2) ये जून, 2022 के बाहरवें दिन से लागू होंगे।

2. पंजाब मद्य निर्माणशाला नियम, 1956 (जिन्हें इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 15 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

''15क. अनुज्ञप्तिधारी, विनिर्माण और बॉटलिंग संचालन और बीयर प्रेषण की निगरानी के लिए अपनी मद्य निर्माणशाला में मुख्य द्वार पर, बॉटलिंग कक्ष, उबाल कक्ष और बोतल बीयर की लोडिंग और मद्य निर्माणशाला के भीतर अन्य सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर एक एकीकृत सीसीटीवी तन्त्र स्थापित करेगा।

15ख (1) नियम 15क के अधीन स्थापित एकीकृत सीसीटीवी तन्त्र राज्य के सभी मद्य निर्माणशालों में स्थापित किया जायेगा और मद्य निर्माणशाला से लाइव फीड प्राप्त करने के लिए मुख्यालय में एक नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा, जो ऑनलाईन एमआईएस उत्पन्न करेगा और राज्य में गैर शुल्क भुगतान वाली बीयर को बाहर निकलने से रोकने के लिए एक प्रभावी रीति होगी।

(2) ऐसे सीसीटीवी कैमरे से लाईव फीड उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) को उपलब्ध कराया जायेगा, जो पाक्षिक आधार पर सीसीटीवी कैमरों के कामकाज की निगरानी करेगा और समय–समय पर लाइव फीड की समीक्षा करेगा और कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो दण्डात्मक कार्यवाही की सिफारिश करेगा। मद्य निर्माणशाला, प्रत्येक मास इलैक्ट्रॉनिक फार्मेट में सीसीटीवी की फुटेज समाहर्ता के कार्यालय को उपलब्ध करवाएगा।''।

3. उक्त नियमों में, नियम 40 में,–

(i) अंत में विद्यमान चिह्न ''।'' के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोडा जायेगा, अर्थात्:–

परंतु अनुज्ञप्तिधारी यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके कारखाने में उत्पादित बीयर, बॉटलिंग की तिथि से 10 मास तक मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है, ऐसे ब्राण्ड की शेल्फ लाईफ 9 मास के लिए अनुमोदित की जाएगी।

4. उक्त नियमों में, नियम 41 के पश्चात, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात्:–

''42 (i) मद्य निर्माणशाला के सामान्य संचालन को एक कार्य दिवस में 8:00 घन्टे के लिए अनुमति दी जाएगी, जिसे आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति से 10,000 रूपये के अतिरिक्त फीस पर मद्य निर्माणशाला द्वारा 8:00 घण्टे की दूसरी पाली और आगे 10,000 रूपये के भुगतान पर 8:00 घण्टे की तीसरी पाली के लिए बढाया जा सकता है;

(ii) मद्य निर्माणशाला से प्रेषण के संचालन के घण्टे 9:00 बजे से 19:00 बजे तक सीमित होंगे और यदि कोई मद्य निर्माणशाला अनुज्ञप्तिधारी विहित घण्टों से अधिक शराब भेजते हुए पाया जाता है, तो पहले अपराध पर 1,00,000/–रूपये, दूसरे अपराध पर 2,50,000/–रूपये और तीसरे अपराध के लिए 5,00,000/–रूपये की शास्ति लगाई जाएगी और बाद के किसी अपराध पर, अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी।

शेखर विद्यार्थी,
आबकारी तथा कराधान आयुक्त,
हरियाणा।

EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY DATED THE 10TH JUNE, 2022

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification

The 10th June, 2022

No.27/X-1/P.A.1/1914/Ss.21 and 59/2022.- In exercise of the powers conferred under sections 21 and 59 of the Haryana Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914), and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.09/X-1/P.A.1/1914/S.9/2020, dated the 28th January, 2020, I, Shekhar Vidyarthi, Excise Commissioner, Haryana, hereby make the following rules further to amend the Punjab Brewery Rules, 1956, in their application to the State of Haryana, with effect from the 12th day of June, 2022, namely :-

1. These rules may be called the Punjab Brewery (Haryana Amendment) Rules, 2022.

2. In the Punjab Brewery Rules, 1956 (hereinafter called to as the said rules), after rule 15, the following rule shall be inserted, namely:-

"15A. The licensee shall installed an integrated CCTV mechanism in his brewery at the main gate, in the bottling rooms, fermenting room and loading of bottled beer and all other important places within the Brewery enclosure to monitor the manufacturing and bottling operations and dispatches of beer.

15B. (1) integrated CCTV mechanism established under rule 15A shall be installed in all the Breweries of the State and a control room shall be set up at the Head Office for receiving live feed from the Breweries which shall generate online MIS and shall be an efficient method to plug leakage of non-duty paid beer in the State.

(2) The live feed from such CCTV Camera shall be made available to the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) who shall monitor the working of CCTV cameras on fortnightly basis and shall periodically review the live feed and shall recommend the penal proceedings in case any violation is found. The distillery shall make available the CCTV footage, in an electronic format every month, to the office of the Collector.".

3. In the said rules, in rule 40,-

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that the licensee shall submit the certificate that the beer produced in his manufactory is fit for human consumption till ten months from the date of bottling, the shelf life for such brand shall be approved for nine months.".

4. In the said rules, after rule 41, the following rule shall be inserted, namely:-

"42 (i) The general operation of the brewery shall be allowed for 8:00 hours in a working day which can be extended by 8:00 hours (second shift) by a brewery on an additional fee of ₹10,000/- and further for 8:00 hours (third shift) on payment of ₹10,000/- with the prior permission of Excise Commissioner.

(ii) The hours of operation for dispatches from brewery shall be limited from 9:00 hours to 19:00 hours and if any brewery licensee if found dispatching liquor beyond the prescribed hours, a penalty of ₹1,00,000/- shall be imposed on the first offense, ₹2,50,000/- on second offence and ₹5,00,000/- for third offence and further on any subsequent offence, the license shall be cancelled.".

SHEKHAR VIDYARTHI,
Excise and Taxation Commissioner,
Haryana.